अनुलग्नक III

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की दावा प्रक्रिया

एसबीआई गोल्ड/प्राइड/प्लेटिनम/प्रीमियम/सिग्नेचर डेबिट कार्ड (वीजा/मास्टरकार्ड)

1. **पॉलिसी संख्या: 4112-400401-23-7001805-00-000**
   (कृपया ध्यान दें: बीमा कंपनी के साथ प्रत्येक कम्यूनिकेशन में पॉलिसी नंबर का उल्लेख करें।)
2. **दावेदार(ओं) को कार्डधारक की आकस्मिक मृत्यु की तारीख से 90 दिनों के भीतर दावा फॉर्म नीचे दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कूरियर/ईमेल द्वारा/व्यक्तिगत रूप से/टेली-कॉल के माध्यम से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सूचना फॉर्म प्रस्तुत करना होगा:**

   लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस,
   4था तल लिबर्टी हेल्थ 360,
   कैपिटल न्यू डीपी रोड,
   विशाल नगर पुणे,
   महाराष्ट्र
   पिन 411027

   ईमेल: pa&benefitclaims@libertyinsurance.in

   सीसी: Shanker Ingvale@libertyinsurance.in Mob: 08657365921
   alka.chaudhary@libertyinsurance.in Mob: 08291823806
   madhavi@allianceinsurance.in; Mob: 07208984685

   कॉले सेंटर नंबर: 1800 2666 5844

3. **संलग्न कार्ड दावा कार्ड उत्पाद फॉर्म भरें।**
4. **विवरण भरने के बाद उपरोक्त ईमेल आईडी पर शेयर करें।**

क्र	अपेक्षित विवरण	
1	उत्पाद का प्रकार*	GPA
2	पॉलिसी संख्या*	4112-400401-23-7001805-00-000
3	बीमित सदस्य की पारिवारिक आईडी	
4	पॉलिसी की अवधि	8th Aug 2023 to 7th Aug 2024
5	बीमित/कॉर्पोरेट का नाम*	SBI
6	बीमित सदस्य / मृतक का नाम *	
7	जन्म तिथि (dd-mmm-yy)	
8	शहर*	
9	गुम होने की तिथि* (dd-mmm-yy)	
10	गुम होने का समय	

11	गुम होने का विवरण/दुर्घटना कैसे हुई*	
12	लाभ प्रकार टीटीडी/पीपीडी/पीटीडी/मृत्यु	
13	दावेदार का नाम*	
14	नुकसान राशि (लगभग)	
15	संपर्क व्यक्ति*	
16	किस स्थान पर गुम हुआ(शहर)*	
17	गुम होने वाले स्थान का पूरा पता *	
18	संपर्क नंबर*	
19	ईमेल आईडी	
20	कार्ड के प्रकार (कृपया √ करें)	गोल्ड
	मास्टरकार्ड	प्लेटिनम
	वीजा	बिजनेस प्राइड
		बिजनेस प्रीमियम
		सिग्नेचर
21	खाता संख्या	
22	खाते का प्रकार	बचत खाता / चालू खाता
23	क) किस शाखा में खाता है ख) शाखा कोड संख्या	क) ख) कोड संख्या:
24	डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए अंतिम सफल वित्तीय लेनदेन की तारीख	

अन्य नियम व शर्तें:

व्यक्तिगत दुर्घटना (मृत्यु) बीमा: यह बीमा डेबिट कार्ड धारक (वीज़ा/मास्टरकार्ड) की केवल दुर्घटना पर मृत्यु को कवर करता है, जो डेबिट कार्ड के प्रकार के अनुसार लागू होगा। यह पॉलिसी किसी भी शारीरिक चोट, पूरी तरह से और सीधे बाहरी, हिंसक और दृश्य साधनों के कारण दुर्घटना से बीमित व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु को कवर करती है।

2) यह बीमा कवर तब चालू होगा जब दुर्घटना की तारीख से पिछले 90 दिनों (सफल वित्तीय लेनदेन) के दौरान कार्ड का उपयोग कम से कम एक बार (किसी भी चैनल पर, जैसे एटीएम/पीओएस/ईकामर्स) किया गया है।

3) हवाई दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में, बीमा कवर केवल कार्डधारक को इस शर्त के अधीन उपलब्ध होगा कि डेबिट कार्ड का उपयोग कर हवाई टिकट खरीदा गया है।

4) आतंकवादी/नक्सली घटना में मृत्यु के मामले में लाभार्थियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना (मृत्यु) कवर उपलब्ध है और इसमें रक्षा (सेना/नौसेना/वायु-सेना)/अर्द्धसैनिक/पुलिस/भारतीय तटरक्षक कर्मियों की ड्यूटी पर/ऑफ ड्यूटी पर मृत्यु भी शामिल होगी।

5) आवेदन प्राप्त होने के बाद बीमा कंपनी दावा निपटान की प्रक्रिया शुरू करेगी। बीमा कंपनी दावा प्राप्ति स्वीकार करेगी। दावा संबंधी पत्राचार बैंक को शामिल किए बिना सीधे दावेदार(ओं) के साथ किया जाएगा।

6) सभी निपटान/विवाद दावेदार(ओं) और बीमा कंपनी के बीच होंगे और बैंक ऐसे विवादों में पक्षकार नहीं होगा।

7) दावा निपटान पूरी तरह से बीमा कंपनी की जिम्मेदारी होगी और किसी भी दावे/विवाद में बैंक की कोई देयता नहीं होगी।

8) दस्तावेजों के पूरे सेट की प्राप्ति पर बीमा कंपनी दावे की प्रक्रिया आरंभ करेगी। प्रस्तुत दस्तावेजों संबंधी अपेक्षाओं/कमियों को दावा प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर मांगा जाएगा। सभी दस्तावेज सही होने पर, बीमा कंपनी अंतिम दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 30 कार्य दिवसों के भीतर दावे का निपटान करेगी। 30 दिनों से अधिक की देरी के मामले में, बीमा कंपनी आईआरडीए विनियमों के अनुसार ब्याज का भुगतान करेगी।

9) कार्डधारक की आकस्मिक मृत्यु के 90 दिनों के भीतर दावेदार(ओं) को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सूचना फॉर्म (सूचना पत्र) स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट/ कूरियर/व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करना होगा।

10) चेक लिस्ट के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा गया व्यक्तिगत दुर्घटना दावा फॉर्म 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए (यानी, सूचना + दावे की अवधि = 90 दिन + 90 दिन = 180 दिन)।

11) यदि डेबिट कार्डधारक के पास एक या अधिक खातों के तहत जारी किए गए एक से अधिक पात्र डेबिट कार्ड हैं, तो दावा उद्देश्य के लिए डेबिट कार्ड के केवल एक उच्च संस्करण पर विचार किया जाएगा। दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों (सफल वित्तीय लेनदेन) के दौरान कम से कम एक बार (किसी भी चैनल अर्थात एटीएम/पॉइंट ऑफ सेल/ई-कॉमर्स पर) उपयोग किए गए गोल्ड/प्लेटिनम/बिजनेस प्लेटिनम/सिग्नेचर डेबिट कार्ड (वीजा/मास्टरकार्ड) को ही दावे के लिए पात्र माना जाएगा।

12) सभी दावे जहां दुर्घटना पॉलिसी की अवधि के भीतर मृत्यु हुई है (i) पॉलिसी की अवधि के भीतर या (ii) पॉलिसी की समाप्ति के बाद की स्थिति पर बीमा कंपनी द्वारा विचार किया जाएगा। इसके अलावा, आईआरडीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उक्त विलंब के कारणों का पता लगाए और रिकॉर्ड किए बिना और स्वयं को संतुष्ट किए बिना कि दावा अन्यथा अस्वीकार कर दिया गया होता, भले ही इसे समय पर सूचित किया गया हो, देरी से सूचना और दस्तावेजों के कारण किसी भी दावे को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

13) पात्र डेबिट कार्डधारक की मृत्यु पर लाभार्थी निम्नानुसार होगा:

क. बचत खाते के लिए बैंक में पंजीकृत नामांकित व्यक्ति, जिस खाते में एकल नाम से डेबिट कार्ड जारी किया गया है (बैंक की भूमिका बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार नामांकित व्यक्ति के नाम को प्रमाणित करने तक सीमित होगी)

ख. ऐसे मामलों में जहां नामांकित व्यक्ति का नाम उपलब्ध नहीं है, लेकिन बचत खाता जिसमें डेबिट कार्ड जारी किया गया है, एक संयुक्त खाता है, तो लाभार्थी बीमा दावे के उद्देश्य से जीवित संयुक्त

खाता धारक होगा। (बैंक की भूमिका केवल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार जीवित संयुक्त खाता धारक(ओं) के नामों को प्रमाणित करने तक सीमित होगी)

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के अलावा अन्य मामलों में दावे का निपटान बीमाकर्ता की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान और दावे की प्रामाणिकता बीमाकर्ता की जिम्मेदारी होगी।

14) **14) दावे से निपटने के लिए यदि आवश्यक कोई अन्य सहायक दस्तावेज/जानकारी**